

बाल—अपराध प्रवृत्ति के ग्रामीण एवं शहरी किशोर विद्यार्थियों का पारिवारिक—परिवेश तथा सुरक्षा एवं असुरक्षा की भावना का तुलनात्मक अध्ययन

सारांश

माता—पिता का असंतुलित व्यवहार, प्रशिक्षण देने में अयोग्यता, माता—पिता, घर का झगड़ालू वातावरण, पास—पड़ोस का अनैतिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण आदि। किशोर बालकों के कोमल मन पर कुप्रभाव डालते हैं। वे समाज विरोधी कार्य, चोरी तथा मूल—प्रवृत्तियों से निर्देशित लैंगिक व्यवहार, जुआ, अत्याधिक क्रोध, तोड़—फोड़ आदि के रूप में प्रदर्शित होता है और वह बालक परिस्थितियों वंश बाल—अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है। विद्यालयीय विद्यार्थियों द्वारा होने वाले अपराधों की घटना आज कल बढ़ती ही जा रही है, शोधकर्ता इन अपराधों के पीछे होने वाले कारणों का पता लगाना चाहता है, क्या इन कारणों के पीछे विद्यालय वातावरण जिम्मेदार है, या पारिवारिक वातावरण एवं सुरक्षा—असुरक्षा की भावना अतः यह शोध बढ़ते हुए बाल—अपराध को बढ़ावा देने वाले कारणों का अध्ययन है।

मुख्य शब्द : बाल अपराध, पारिवारिक—परिवेश, सुरक्षा एवं असुरक्षा।

प्रस्तावना

शिक्षा ज्ञानार्जन व सीखने की प्रक्रिया को समय सीमा में बन्धित करना सम्भव नहीं है। यह तो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म के साथ—साथ प्रारम्भ होती है, और आजीवन चलती रहती है। मनुष्य का सम्पूर्ण विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा ही बालक को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाती है। बालक किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं, शिक्षा के द्वारा ही बालक की मूल—प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गान्तीकरण होता है। जिससे बालक का ही नहीं अपितु राष्ट्र का भी कल्याण हो। सर्वप्रथम बालक अनभिज्ञता में जो व्यवहार सीखता है।

परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है तथा वह अपने परिवार से ही सीखता है। माता—पिता की क्रियाएँ एवं उनके द्वारा शैशव काल में दिया गया व्यवहार ही बालक में सामाजिक गुणों का विकास करता है। परिवार बच्चे की सबसे पहली शिक्षा संरचना है। और उसकी माँ उसकी सबसे पहली शिक्षिका बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके माता—पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उसे सुनना और बोलना सिखाने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मत है, कि बच्चे के व्यक्तित्व का दो तिहाई विकास उसके प्रथम चार—पाँच वर्षों में होता है और यह वह समय है, जब बच्चा अपने परिवार में रहता है, तब कहना न होगा कि बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका परिवार की रहती है। बच्चों की सम्पूर्ण शिक्षा में परिवारों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा सहयोग रहता है, उनकी शिक्षा में सर्वाधिक महत्त्व इनका ही होता है।

माता—पिता का असंतुलित व्यवहार, प्रशिक्षण देने में अयोग्यता, माता—पिता, घर का झगड़ालू वातावरण, पास—पड़ोस का अनैतिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण आदि। किशोर बालकों के कोमल मन पर कुप्रभाव डालते हैं। वे समाज विरोधी कार्य, चोरी तथा मूल—प्रवृत्तियों से निर्देशित लैंगिक व्यवहार, जुआ, अत्याधिक क्रोध, तोड़—फोड़ आदि के रूप में प्रदर्शित होता है और वह बालक परिस्थितियों वंश बाल—अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है।

आयु की दृष्टि से मुख्यतया 7 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य के अपराधी किशोर अपराधी माने जाते हैं। 7 वर्ष से कम वाले बच्चों को उनके किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं माने जाते हैं। भारत में अधिकतर राज्यों में बाल—अपराध प्रवृत्ति के बच्चों की उम्र 18 वर्ष है तथा राजस्थान, असम, कर्नाटक में 16 वर्ष मानी है।

मधु कंवर सोनी

प्राचार्या,

माँ सरस्वती बी.एड. कॉलेज,

जोधपुर, राजस्थान

जगदीश बाबल

शोधार्थी,

शिक्षा शास्त्र विभाग,

जर्नादन राय नागर

विद्यापीठ,

उदयपुर, राजस्थान

व्यवहार की दृष्टि से बर्त तथा ग्लूक के अनुसार किशोर अपराधी न केवल उसको माना जाता है, जो कानून की अवहेलना करता है। बल्कि उसे भी जिसका आचरण समाज अस्वीकार करता है, क्योंकि उसका यह दुर्व्यवहार उसे अपराध करने के लिए प्रेरित कर सकता है अथवा उसके अपराधी बनने के खतरे को उत्पन्न करता है।

अपराधियों के उपचार एवं परामर्श करने वालों के लिए अपराधियों के सामान्य लक्षण जानना आवश्यक हैं, सामान्यतः किशोर अपराधी में हीनता की भावना पाई जाती है। उसका व्यवहार पतनमुख रहता है। वह अनेक शारीरिक आदतों जैसे नाखून काटना, अंगूठा चूसना आदि का शिकार रहता है, उसमें अपनी अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हेतु वह आक्रमक व्यवहार दिखाता है। अपराधी समूह के किशोर सामान्य किशोरों से औसतन कम बुद्धि वाले होते हैं, उनका शैशवकाल अनेक कठिनाईयों में व्यतीत होता है। बड़े होने पर भी वे आमतौर पर बैचन रहते हैं, उनमें आत्म-नियन्त्रण का अभाव अपराधियों का पारिवारिक-वातावरण असंतुलित रहता है, जिस कारण भी उनमें हिन भावना पैदा होती है।

पारिवारिक वातावरण किसी भी व्यक्ति की संज्ञात्मक, विशेषताओं, प्रतिभाओं, व्यक्तित्व के शीलगुणों, शैक्षिक निष्पत्ति के विकास में प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करता है। पारिवारिक-वातावरण में संघर्षरत् बालक में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। यह असुरक्षा की भावना उसमें दुश्चिन्ता को जन्म दे सकती है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों में उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधिक अपेक्षाएँ रखते हैं, माता-पिता की उच्चाकांक्षाओं के कारण बालक पर दबाव डालता है, जो उसमें तनाव को जन्म देता है।

परिवार में सुरक्षा-असुरक्षा की भावना पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि माता-पिता का असंतुलित व्यवहार, उच्चाकांक्षाओं के कारण बालक पर दबाव पड़ता है। जो उसमें तनाव को जन्म देता है, जिस व्यक्ति में सुरक्षा की भावना होती है। वह दूसरे व्यक्तियों के अस्तित्व को संघर्ष स्वीकार करता है। इसके विपरीत हम असुरक्षा को परिभाषित करते हुए लिख सकते हैं। संवेगात्मकता, अस्थिरता, अस्वीकृति की भावना, उपेक्षा, उत्तेजना, आश्चर्य, अकेलापन घृणा, शत्रुता, रोष, चिड़चिड़ापन, चंचलता तथा सदैव निराशावादी बने रहना आदि मानसिक स्थितियों असुरक्षा की भावना प्रदर्शित करती है।

सुरक्षा व असुरक्षा की भावना का विकास व्यक्ति में दैनिक जीवन की आवश्यकतों के प्रति अनुक्रिया निराशावादिता से करता है या आशावादिता से। एक अन्य दृष्टिकोण सुरक्षा-असुरक्षा की भावना व्यक्ति के वातावरण व पारिवारिक पृष्ठ भूमि का उप-उत्पान है, अतः शोधार्थी ने सुरक्षा-असुरक्षा की भावना को भी अपने शोध अध्ययन में एक चर के रूप में चुना है।

इस प्रकार शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य में बाल-अपराध प्रवृत्ति को तथा पारिवारिक-परिवेश एवं सुरक्षा-असुरक्षा की भावना को सम्मिलित किया गया है।

बाल-अपराध प्रवृत्ति

माता-पिता को असंतुलित व्यवहार, प्रशिक्षण देने में अयोग्य माता-पिता, घर का झगड़ा लू वातावरण, पास-पड़ोस का अनैतिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण आदि किशोर बालकों के कोमल मन पर कुप्रभाव डालते हैं। वे समाज विरोधी कार्य, चोरी तथा मूल-प्रवृत्तियों से निर्देशित लैंगिक व्यवहार, जुआ, अत्यधिक क्रोध, तोड़फोड़ आदि के रूप में प्रदर्शित होता है।

बाल-अपराध के अर्थ को निम्न दो बातों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है:-

1. आयु
2. व्यवहार की प्रवृत्ति

आयु की दृष्टि से मुख्यतया 7 और 18 वर्ष के मध्य के अपराध करने वाले व्यक्ति को किशोर अपराधी माना जाता है, 7 वर्ष से कम वाले बच्चों को उनके किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। यदि वे अपराध भी करते हैं। तो भी उन्हें दण्डित नहीं किया जाता।

व्यवहार की दृष्टि से बर्त तथा ग्लूक के अनुसार किशोर अपराधी न केवल उसको माना जाना है जो कानून की अवहेलना करता है, बल्कि उसे भी जिसका आचरण समाज अस्वीकार करता है। क्योंकि उसका यह दुर्व्यवहार उसे अपराध करने के लिए प्रेरित कर सकता है अथवा उसके अपराधी बनने के खतरे को उत्पन्न करता है।

ऐसे बच्चों को भी किशोर अपराधी माना जाता है, जो घर से भागकर आवारागर्दी करते हैं, माता-पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना, चरित्रहीन व निन्दनीय व्यक्ति के सम्पर्क में पाए जाते हैं, गन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, तथा अनैतिक व अस्वस्थ क्षेत्रों में घूमते पाए जाते हैं।

पारिवारिक-परिवेश

परिवार सामाजिक सम्बन्धों की अनुसंधानशाला है, परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है, यही पर व्यक्ति को सर्वप्रथम सामाजिक सम्बन्धों का आभास होता है। व्यक्ति राष्ट्र एवं समाज की न्यूनतम इकाई है, और उसमें बड़ी प्राथमिक इकाई है, घर अथवा परिवार। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने में परिवार की अहम भूमिका है।

पारिवारिक वातावरण निश्चित रूप से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, बालक का सामाजिककरण, नैतिक तथा धार्मिक मूल्य, आकांक्षा, स्तर, स्वधारणा आदि का विकास पारिवारिक वातावरण में ही होता है।

सुरक्षा-असुरक्षा की भावना

मानव के जीवन में अनेक समस्याएँ आती हैं, जिनके प्रति उसकी प्रतिक्रिया अलग-अलग होती है, दो व्यक्ति समान समस्या के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं, एक ही समस्या दो व्यक्तियों के लिए अलग-अलग महत्व रखती है, किसी भी समस्या के समय एक व्यक्ति सहज अनुक्रिया करता है, तथा समस्या से परेशान न होकर कठिन परिस्थितियों का सामना भी आनन्दपूर्वक करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उस समस्या से दूर भागता है।

सुरक्षा व असुरक्षा की भावना का व्यक्तित्व के निर्माण तथा पुनः निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, सुरक्षा-असुरक्षा शब्दावली का मूल्य धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही दृष्टि से है, संक्षेप में जिस व्यक्ति के अस्तित्व को संघर्ष स्वीकार करता है। इसके विपरीत हम असुरक्षा को परिभाषित करते हुए लिख सकते हैं, संवेगात्मकता, अस्थिरता, अस्वीकृति की भावना, अपेक्षा, उत्तेजना, आश्चर्य, अकेलापन, घृणा, शत्रुता, रोष, चिड़चिड़ापन, चंचलता तथा सदैव निराशावादी बने रहना आदि मानसिक स्थितिया असुरक्षा की भावना प्रदर्शित करती है।

समस्या का औचित्य

विद्यालयीय विद्यार्थियों द्वारा होने वाले अपराधों की घटना आज कल बढ़ती ही जा रही है। शोधार्थी इन अपराधों के पीछे होने वाले कारणों का पता लगाना चाहता है, क्या इन कारणों के पीछे विद्यालय वातावरण जिम्मेदार है, या पारिवारिक वातावरण एवं सुरक्षा-असुरक्षा की भावना अतः इस शोध कार्य का औचित्य बढ़ते हुए बाल-अपराध को बढ़ावा देने वाले कारणों का पता लगाना एवं उनका अध्ययन करना है।

समस्या अभिकथन

‘प्रस्तुत शोध का समस्या कथन इस प्रकार है-“बाल-अपराध प्रवृत्ति के ग्रामीण एवं शहरी किशोर विद्यार्थियों का पारिवारिक-परिवेश तथा सुरक्षा एवं असुरक्षा की भावना का तुलनात्मक अध्ययन”

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये-

1. ग्रामीण किशोर विद्यार्थियों में बाल-अपराधी प्रवृत्ति के विद्यार्थियों का पता लगाना तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन करना।
2. शहरी किशोर विद्यार्थियों में बाल-अपराधी प्रवृत्ति के विद्यार्थियों का पता लगाना तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन करना।
3. बाल-अपराध प्रवृत्ति के ग्रामीण किशोर विद्यार्थियों के पारिवारिक परिवेश का अध्ययन करना।
4. बाल-अपराध प्रवृत्ति के शहरी किशोर विद्यार्थियों के पारिवारिक परिवेश का अध्ययन करना।
5. बाल-अपराध प्रवृत्ति के ग्रामीण किशोर विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना का अध्ययन करना।
6. बाल-अपराध प्रवृत्ति के शहरी किशोर विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना का अध्ययन करना।
7. बाल-अपराध प्रवृत्ति के ग्रामीण एवं शहरी किशोर विद्यार्थियों का पारिवारिक-परिवेश का तुलनात्मक अध्ययन करना।
8. बाल-अपराध प्रवृत्ति के ग्रामीण एवं शहरी किशोर विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाएँ निर्मित की गईं -

1. बाल अपराध प्रवृत्ति के ग्रामीण एवं शहरी किशोर विद्यार्थियों के पारिवारिक परिवेश में सार्थक अन्तर नहीं हैं।
2. बाल अपराध प्रवृत्ति के ग्रामीण एवं शहरी किशोर विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना का सार्थक अन्तर नहीं हैं।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध कार्य में जोधपुर जिले के दो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों तथा दो ही शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में से ही न्यादर्श चुने गए हैं। न्यादर्श के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के नीजि एवं राजकीय विद्यालयों में से 30-30 विद्यार्थियों को तथा शहरी क्षेत्र के नीजि एवं राजकीय विद्यालयों में से 30-30 विद्यार्थियों को चुना गया है।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध में तीनों प्रमापीकृत परीक्षण लिये गए हैं :-

व्यवहार विपथन मापनी (BDS)

डॉ. एन. एस. चौहान, डॉ. सरोज अरोड़ा।

पारिवारिक-परिवेश मापनी (FCS)

डॉ. बीना शाह

सुरक्षा एवं असुरक्षा मापनी (SIS)

डॉ. बीना शाह

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी

अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण विभिन्न सांख्यिकी तकनीक मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी परीक्षण द्वारा किया गया।

समस्या का परिसीमन

1. प्रस्तुत शोध कार्य जोधपुर क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया है।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों पर ही किया गया है।
3. शोधार्थी द्वारा शोध कार्य में कक्षा 9 से 11 के छात्रों एवं छात्राओं दोनों को ही सम्मिलित किया गया है।
4. शोधमें उन विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया गया है। जिनकी उम्र 14 से 19 वर्ष तक है।
5. शोधार्थीद्वारा जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र दोनों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।
6. शोधकार्य में जोधपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के नीजि एवं सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों को शामिल किया गया है।

साहित्यावलोकन

निशा पारीक 2017 - ने "भारत में बाल अपराध एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" शीर्षक पर Impact Factor Vol No 6 issue 12 Sept. 2017 में शोध पत्र प्रकाशित किया। बाल अपराध के कारणों में सबसे अधिक व्यापक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक कारण है। प्रमुख सामाजिक कारणों में परिवार, विद्यालय, अपराधी क्षेत्र, बुरी संगत, मनोरंजन, युद्ध स्थानान्तरण एवं सामाजिक विघटन है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारणों में मानसिक रोग, बौद्धिक दुर्बलता, व्यक्तित्व के लक्षण संवेगात्मक अस्थिरता है।

आर्थिक कारणों में निर्भरता, भुखमरी, बच्चों का नौकरी करना, पारिवारिक संघर्ष प्रमुख है। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किशोर न्यायलय सुधारगृह, बोस्टल, स्कूल प्रमाणित विद्यालय, रिमाण्ड होना, प्रोबेशन एवं फोस्टर गृह जैसी सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना की गयी। बाल अपराधियों का उपचार करने के लिये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों, प्रोत्साहन मनोचिकित्सा एवं मनोविश्लेषण प्रविधि का उपयोग भी विशेष लाभकारी हो सकता है।

आज का बालक कल देश का कर्णधार होता है उसके कंधों पर परिवार समुदाय और राष्ट्रों का भार होता है। यदि वह पहले से गलत रास्तों पर चलना सीखने लगेगा तो देश का उदार करना असंभव हो जायेगा। इसलिये बदलती भारत की परिस्थितियों में बाल अपराध के सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार करना होगा और इसी रूप में इसका निदान भी करना होगा।

शर्मिला कुमारी 2015-“बाल अपराध का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं उभरती प्रवृत्तियों का कोटा शहर के विशेष संदर्भ में” शीर्षक पर पीएचडी शोध कार्य किया जिसके निष्कर्ष में पाया गया कि बाल अपराध की उत्पत्ति में बालक के पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अतः सबसे महत्वपूर्ण सुझाव तो यह है कि परिवार और समाज को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। बालक घर, पड़ोस, स्कूल आदि के द्वारा निरन्तर सहयोग, सहानुभूति और निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में बालक कुंठाग्रस्त और तनावग्रस्त होकर अपराधी गतिविधियों में संलग्न हो सकता है। इस प्रकार बाल अपराध को एक गंभीर सामाजिक समस्या मानते हुए परिवार, समुदाय, समान और सरकार सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन तत्परता से करना होगा तभी इन नौनिहाल कर्णधारों को एक सफल, सुसंस्कृत और जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है।

मकवाणा दर्शना आर. (2004-05)–“जोधपुर शहर एवं अहमदाबाद शहर के माध्यमिक स्तर के छात्रों के पारिवारिक परिवेश एवं कक्षा उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया कि “जिन छात्रों को पारिवारिक वातावरण मिला है उन छात्रों की कक्षा उपलब्धि भी अच्छी पायी गयी। कक्षा कक्षा उपलब्धि को पारिवारिक वातावरण भली भांति प्रभावित करता है। जोधपुर शहर के छात्रों का अंग्रेजी विषय पर ज्यादा प्रभुत्व पाया गया। अहमदाबाद शहर के छात्रों का गणित विज्ञान के विषय पर ज्यादा प्रभुत्व पाया गया।

अरोड़ा कृष्णा (1999-00)–“किशोरावस्था की समस्याओं तथा पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में शैक्षिक निष्पत्ति का अध्ययन करने पर पाया कि –“ग्रामीण तथा शहरी बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। सामाजिक, आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक निष्पत्ति के मध्य सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया। कक्षा तीन के छात्रों की निष्पत्ति जिनके परिवार का आकार बड़ा था। उन विद्यार्थियों से उच्च पायी गयी जो परिवार छोटे थे। कक्षा पांच के स्तर पर बड़े परिवार का शैक्षिक निष्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पाया गया। पारिवारिक संरचना का शैक्षिक निष्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पाया गया।

चक्रवर्ती एस. एन (1988) –“कक्षा 5 के छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति पर बुद्धि परिवार की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि परिवार का शैक्षिक वातावरण एवं विद्यालय की गुणवत्ता के प्रभाव का अध्ययन।” पी.एच.डी. शिक्षा शास्त्र पूना विश्वविद्यालय।

अनुसंधानकर्ता ने अपने अध्ययनों में पाया कि कक्षा 5 के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति पर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिका प्रभाव पड़ता है, परिवार का शैक्षिक वातावरण भी स्कूल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

सारणी संख्या-1

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक परिवेश मापनी के प्राप्तांकों का मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं क्रांतिक अनुपात

| क्र.सं. | समूह | समूह संख्या (N) | मध्यमान M | प्रमाप विचलन | क्रांतिक अनुपात (t) | सार्थकता (.05 विश्वास स्तर पर) |
|---------|--|-----------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों का पारिवारिक परिवेश | 60 | 130 | 10.24 | 10.87 | सार्थक |
| 2 | शहरी क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों का पारिवारिक परिवेश | 60 | 150 | 9.91 | | |

उपरोक्त सारणी 1 के अवलोकन के निम्न निष्कर्ष हैं –

मध्यमान की दृष्टि से

बाल-अपराध प्रवृत्ति के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय के विद्यार्थियों के पारिवारिक परिवेश का अध्ययन करने के लिए सारणी न. 1 से पता चलता है। कि बाल-अपराध प्रवृत्ति के शहरी विद्यालयों के पारिवारिक परिवेश का मध्यमान (150) ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के छात्रों के पारिवारिक परिवेश के मध्यमान (130) से अधिक प्राप्त हुआ है। मध्यमान की अधिकता से पता चलता है

कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का पारिवारिक परिवेश ग्रामीण क्षेत्र के पारिवारिक परिवेश से अच्छा है।

“टी” मूल्य की दृष्टि से

बाल-अपराध प्रवृत्ति के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक परिवेश का “टी” मूल्य सारणी न. 1 देखने पर 10.87 आता है। यह .05 व .01 के विश्वास स्तर मूल्यों क्रमशः 1.96 तथा 2.58 से अधिक है। अतः शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक परिवेश में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना की दृष्टि से

परिकल्पना संख्या 1 शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय के विद्यार्थियों के पारिवारिक परिवेश में सार्थक अन्तर नहीं है।

प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ज्ञात हुआ। कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के पारिवारिक परिवेश में सार्थक अन्तर है। अतः परिकल्पना संख्या 1 अस्वीकृत की जाती है।

सुरक्षा-असुरक्षा की भावना से सम्बन्धित निष्कर्ष**सारणी - 2**

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों के सुरक्षा-असुरक्षा मापनी के प्राप्तांकों का मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं क्रांतिक अनुपात

| क्र.सं. | समूह | समूह संख्या (N) | मध्यमान M | प्रमाप विचलन | क्रांतिक अनुपात (t) | सार्थकता (.05 विश्वास स्तर पर) |
|---------|---|-----------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना | 60 | 102.34 | 10.62 | 1.34 | सार्थक |
| 2 | शहरी क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना | 60 | 99.67 | 11.175 | | |

उपरोक्त सारणी 2 के अवलोकन से निम्न निष्कर्ष हैं -

मध्यमान की दृष्टि से

बाल-अपराध प्रवृत्ति के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना का अध्ययन करने के लिए सारणी नं0 2 से पता चलता है कि शहरी विद्यालय के विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना का मध्यमान (99.67) ग्रामीण क्षेत्रके विद्यालय के विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना के मध्यमान 102.34 से कम आता है। मध्यमान की अधिकता से पता चलता है। कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में सुरक्षा-असुरक्षा की भावना अधिक होती है अर्थात् अधिक सुरक्षित होते हैं।

“टी” मूल्य की दृष्टि से

शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय के विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना का “टी” मूल्य सारणी नं. 2 में देखने पर 1.34 प्राप्त हुआ यह .05 व .01 के विश्वास स्तर मूल्य क्रमशः 1.96 तथा 2.58 से कम है जो शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना में सार्थक अन्तर नहीं दर्शाता है।

परिकल्पना की दृष्टि से

परिकल्पना संख्या 2 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रके विद्यालय के विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना में अन्तर नहीं है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ज्ञात हुआ कि शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की सुरक्षा-असुरक्षा की भावना में सार्थक अन्तर नहीं है। अतः परिकल्पना संख्या 2 स्वीकृत की जाती है।

सुझाव

अनुसंधान का क्षेत्र अधिक विस्तृत है यह कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। कोई भी शोधार्थी किसी भी समस्या के सभी पक्षों को नहीं छू सकता। यद्यपि इस समस्या के क्षेत्र में कुछ शोध हुए, फिर भी इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर शोध किया जा सकता है।

भावी शोध हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं -

1. प्रस्तुत अनुसंधान में 120 विद्यार्थियों का न्यादर्श लिया है, इसी समस्या के परिप्रेक्ष्य में पूरे जिले, राज्य अथवा देश का न्यादर्श भी लिया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को लिया गया है इसी समस्या को स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर भी लिया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध में समय की कमी के कारण केवल जोधपुर क्षेत्र को लिया गया है, अतः पूरा राजस्थान भी शामिल किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत शोध में ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों का ही तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जबकि भावी सोच में छात्र-छात्राओं का अलग-अलग अध्ययन किया जा सकता है।
5. प्रस्तुत शोध में केवल हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों को लिया है, भावी शोध के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को भी लिया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. कपिल, एच.के., 1995, सांख्यिकी के मूल तत्व विनोद प्रकाशन मन्दिर, आगरा।
2. डोंटियाल, एस. तथा ए.बी. फाटक. 1987, शैक्षिक अनुसंधान का विधि शास्त्र, राजस्थान ग्रन्थ, अकादमी, जयपुर।
3. शर्मा, रामनाथ. 1986, 'शैक्षणिक तथा मनोवैज्ञानिक मापन' शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्रा.लि., जयपुर।
4. माथुर, एस. एस. 1985 'शिक्षा मनोविज्ञान' विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1985
5. कपिल, डॉ. एच.के. 1984, अनुसंधान विधियाँ, हर प्रसाद भार्गव,
6. वर्मा, रामपाल सिंह एवं राधावल्लभ उपाध्याय, 1983, 'शिक्षा मनोविज्ञान' विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
7. सुखिया एवं मेहरोत्रा. 1982, शैक्षिक अनुसंधान का विधि शास्त्र, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
8. भार्गव, डॉ. महेश. 1981, आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन।

9. हर प्रसाद भार्गव अग्रवाल, रामनारायण. 1981, 'मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन व मूल्यांकन', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
10. भटनागर, सुरेश. 1980, 'शिक्षा मनोविज्ञान' इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ,
11. पाठक, पी.डी. 1980, 'शिक्षा मनोविज्ञान' विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
12. निशा पारीक 2017, भारत में बाल अपराध एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, Impact Factor Vol No 6 issue 12 Sept. 2017
13. शर्मिला कुमारी. 2015, बाल अपराध का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं उभरती प्रवृत्तियों का कोटा शहर के विशेष संदर्भ में पीएचडी शोध।
14. कल्याण विशेषांक, 1998, गीता प्रेस, गोरखपुर।
15. शिविरा, नवम्बर, 1996, बल दिवस विशेषांक।
16. हमारा संकल्प, 1944, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित, अप्रैल, जुन 1944